

आरक्षित/संरक्षित वनभूमि प्रभावित न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आजमगढ़ वन प्रभाग के अन्तर्गत काण्डला-गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन (के.जी.पी.एल.) परियोजना (उन्नाव-गोरखपुर सेक्शन में) भूमिगत एलपीजी पाइपलाइन के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल मेहनगर रेन्ज, जहानागंज रेन्ज एवं जीयनपुर रेन्ज के गैर वनभूमि क्षेत्र से गुजर रही है। प्रभाग में कोई भी आरक्षित/संरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।


प्रभागीय निदेशक
प्रभागीय निदेशक
सांख्यिक वानिकी प्रभाग,
४ आजमगढ़